न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष– आशीष श्रीवास्तव,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 592–एक/08 विरूद्ध आदेश, दिनाक 17–7–2007 पारित द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के निगरानी प्रकरण कमांक 259/अ–5/03–04.

लखपत प्रसाद पिता श्री नारायण प्रसाद द्विवेदी
उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम पुरैना तहसील व जिला पन्ना म0 प्र0

.....

आवेदक

विरूद्ध

परसराम पिता श्री नबल प्रसाद द्विवेदी (मृतक) वारिसानः–
1 राकेश तनय परसराम द्विवेदी
2 रामकरण तनय परसराम द्विवेदी
3 रामशरण तनय परसराम द्विवेदी
4 रामरूप तनय परसराम द्विवेदी
5 राजेन्द्र तनय परसराम द्विवेदी
समस्त निवासी ग्राम पुरैना तहसील व जिला पन्ना म0 प्र0

.....अनावेदकगण

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर0 सी0 शर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3.2.16 को पारित)

यह निगरानी प्रकरण कमांक 592–एक/08 राजस्व मण्डल में म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में सहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर

आयुक्त, सागर के निगरानी प्रकरण कमांक 259/अ–5/03–04 में पारित आदेश दिनांक 17–7–2007 के विरूद्ध दायर हुआ है ।

2./ प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है । अपर तहसीलदार, देवेन्द्रनगर जिला पन्ना के समक्ष अनावेदक परसराम द्वारा संहिता की धारा 89, 115 एवं 116 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया जाकर बंदोबस्त के दौरान हुई त्रुटि के सुधार हेतु दिया गया । जिसमें उल्लेख किया गया कि उनका पुराना सर्वे नंबर 278 रकबा 1.457 हैक्टेयर ग्राम पुरैना तहसील व जिला पन्ना में स्थित होकर अनावेदक के भूमिस्वामी स्वत्व एवं कब्जे की है, जो कि पैत्रिक संपत्ति होकर अनावेदक को बंटवारे में प्राप्त हुई । नवीन सर्वे नंबर 697 रकबा 1.13 हैक्टेयर निर्मित किया गया । बंदोबस्त की भूल के कारण 0.32 हैक्टेयर आवेदक के खाते की भूमि को सर्वे नंबर 698 में शामिल कर दिया गया । अपर तहसीलदार, देवेन्द्रनगर द्वारा प्रकरण कमांक 13/अ–5/02–03 पंजीबद्ध किया जाकर पारित आदेश दिनांक 26–6–2003 द्वारा अनावेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया । उक्त आदेश से परिवेदित होकर अनावेदक द्वारा अतिरिक्त कलेक्टर, पन्ना के समक्ष अनावेदक द्वारा निगरानी प्रस्तुत की गई । अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 57/निगरानी/02–03 आदेश दिनांक 8–1–2004 द्वारा अनावेदक की निगरानी स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया । इस आदेश से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा अपने प्रकरण कमांक 259/अ–5/03–04 में पारित आदेश दिनांक 17–7–2007 द्वारा निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा इस न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

3/निगराकार अधिवक्ता ने अपने प्रारंभिक तर्क के मौके पर अभिलेख के आधार पर निर्णय लिए जाने का निवेदन किया। गैरनिगराकार अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया कि निगराकार द्वारा राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी 8 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, अतः पहले परिसीमा के बिन्दु पर निर्णय होना चाहिए । उन्होंने आगे तर्क किया कि गैरनिगराकार की भूमि का पुराना सर्वे कमांक 278 था जिसका रकवा 1.457 है0 था,

जिसका नया सर्वे कमांक 697 हुआ जिसका रकवा 1.13 है0 था, इस प्रकार 0.32 है0 उनका रकवा कम कर दिया गया। इसके विपरीत निगराकार का पुराना सर्वे कमांक 279 रकवा 1.607 है0 था, जिसमें से 0.390 है0 विक्रय करने के बाद निगराकार के पास 1.217 है0 शेष थी, किन्तु उनके नये सर्वे कमांक 695 का रकबा 1.80 है0 था, जो कि 0.59 है0 अधिक था। उन्होंने आगे कहा कि इस बिन्दु पर उन्होंने तहसील में आवेदन किया जिसे बिना जांच किए निरस्त कर दिया गया। इस पर उन्होंने अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी की जिसमें प्रकरण प्रत्यावर्तित हुआ। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी हुई जहां अपर कलेक्टर का आदेश यथावत रखा गया। इस पर निगराकार पक्ष ने राजस्व मण्डल में यह निगरानी प्रस्तुत की है जो कि समय बाधित है। उन्होंने निवेदन किया कि निगरानी निरस्त की जाकर प्रत्यावर्तन आदेश के अनुसार तहसीलदार को प्रकरण का निराकरण करने का निर्देश देना उपयुक्त होगा। निगराकार अधिवक्ता ने प्रतिउत्तर में तर्क किया कि गैर निगराकार को तहसीलदार के मूल आदेश के विरूद्ध अपील में जाना चाहिए था न कि निगरानी में। इस आधार पर उन्होंने अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त के आदेशों को निरस्त करने का निवेदन किया। उन्होंने यह भी कहा कि परिसीमा की बाधा की आपत्ति गैरनिगराकार द्वारा अंतिम तर्क के मौके पर ही उठायी गयी है, पहले नहीं, अतः प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर करना चाहिए।

मेरे द्वारा प्रकरण में विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुनने एवं परीक्षण करने तथा उन पर विचार के उपरांत मैं यह पाता हूं कि उभयपक्ष के पक्षकारों की भूमियों को लेकर बंदोबस्त की कार्यवाही के फलस्वरूप अस्पष्टता की स्थिति उत्पन्न हुई है जिसे पुराने अभिलेखों आदि का संदर्भ लेते हुए एवं उभय पक्ष को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर देते हुए दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। वैसे भी अपर कलेक्टर द्वारा किए गये प्रत्यावर्तन आदेश दिनांक 8.1.2004, जिसे अपर आयुक्त द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 17.7.2007 से यथावत रखा गया है, से किसी भी पक्षकार के हित अंतिम/अनुचित रूप से प्रभावित नहीं हुए हैं एवं उभयपक्ष को तहसीलदार के समक्ष अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर उपलब्ध है। इस प्रकार प्रकरण के गुणदोष पर

विचार की आवश्यकता से संतुष्ट होते हुए मैं प्रकरण में सर्व प्रथम परिसीमा के बिन्दु पर शिथिलता प्रदान करता हूं। साथ ही अपर आयुक्त का आक्षेपित आदेश दिनांक 17.7.2007 यथावत रखते हुए तहसीलदार को उपरोक्त निर्देशों के साथ अपर कलेक्टर के प्रत्यावर्तन आदेश दिनांक 8.1.2004 का पालन करने के निर्देश के साथ यह निगरानी खारिज करते हुए समाप्त करता हूँ। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश प्रति के साथ वापस हो। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा.रि. हो।

3.2.16

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर